न्यायालयः–पंकज कुमार श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मैहर, जिला सतना (म.प्र.)

Registration No-	**RCT 241/2026**
Filing No-	**1947/2026**
C.N.R. No-	**MP1960024742026**
Filing Date-	**14-05-2026**

// निर्णय //
(दिनांक 05.08.2026 को घोषित)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट/अपराध और पुलिस थाने का विवरण)

अभियोगी	म0प्र0 राज्य द्वारा थाना प्रभारी, आरक्षी केन्द्र **बदेरा,** जिला मैहर म0प्र0
प्रतिनिधित्व द्वारा	सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त/गण	मिताहीलाल यादव पिता इंद्रपाल यादव उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम बिहराकलां थाना बदेरा तहसील व जिला मैहर म.प्र.
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री जीतेन्द्र पटेल अधिवक्ता।

अपराध की तिथि	04.03.2026
प्र.सू.रि. की तिथि	04.03.2026
आरोप पत्र की तिथि	14.05.2026
आरोपों के विरचना की तिथि	03.08.2026
साक्ष्य प्रारंभ किए जाने की तिथि	03.08.2026
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तिथि	05.08.2026
निर्णय की तिथि	05.08.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तिथि	–

अभियुक्त/गण का विवरण

अभि. की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर रिहा किए जाने की तिथि	अपराध, जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 468 भा.ना. सु.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान

							भोगी गई निरोध की अवधि
01	मिताहीलाल यादव	–	–	धारा 296 118(1), 351(3), भा.न्या.सं. 2023	दोषमुक्त	–	–

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन साक्षी–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी,पुलिस साक्षी, विशेष साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.–1	सुनील कुमार यादव	फरियादी/आहत साक्षी

ख. प्रतिरक्षा साक्षी–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेष साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
–	–	–

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची–

क. अभियोजन

क0	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्र.पी.–1/अ.सा.–1	प्रथम सूचना रिपोर्ट
2	प्र.पी.–2/अ.सा.–1	नक्शा मौका
3	प्र.पी.–3/अ.सा.–1	साक्षी सुनील के पुलिस कथन

ख. प्रतिरक्षा प्रदर्श–

क0	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	–	–

ग. न्यायालयीन प्रदर्श–

क0	प्रदर्श संख्या	विवरण

1.	–	–

घ. महत्वपूर्ण वस्तुएं–

क0	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
1.	–	–

पुलिस थाना **बदेरा** जिला मैहर म.प्र. के अपराध क्रमांक 0061/2026, अंतर्गत धारा 296, 115(2), 118(1), 351(3) भा.न्या.सं. 2023 से उद्भूत प्रकरण।

// निर्णय //

1. अभियुक्त/गण के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की शेष धारा 296 एवं 118(1) के अंतर्गत दण्ड़नीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 04.03.2026 को समय लगभग 11:00 बजे थाना बदेरा अंतर्गत ग्राम अजवाइन स्थित फरियादी के घर के पास फरियादी/आहत सुनील कुमार यादव के साथ अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे तथा अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी/आहत सुनील कुमार यादव के साथ धारदार वस्तु टांगी से मार कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की।

2. प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है, कि प्रकरण में फरियादी/आहत सुनील कुमार यादव ने अभियुक्त/गण से राजीनामा कर लिया है।

3. अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी/आहत सुनील कुमार यादव ने थाने आकर रिपोर्ट की कि दिनांक 04.03.2026 को समय लगभग 11.00 बजे वह अपने घ ार के सामने खडा था तभी उसका मझला भाई मिताहीलाल यादव टांगी लेकर आया और उससे बोला कि मादरचोद तू शराब पीता है घर बरबाद करता है तब वह उसे गाली देने से मना किया तो वह एक टांगी उसको मारा जिसे वह पकडा तो टांगी की नोक उसके सिर में एवं बायें हाथ के अंगूठे के बगल वाली उंगली के निचले भाग में लगा जिससे खून बहने लगा तब वह टांगी की बेंट से उसके बाएं के भुजा में दो बेंट मारा तब वह हल्ला गोहार किया तो उसकी पत्नी देवकी यादव, कौशल प्रसाद तिवारी ने

आकर बीच बचाव किये तब वह बोला कि इस बार तो मादरचोद बचा दिया हूं दोबारा मिला तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा। मारपीट से उसके सिर, बाएं हाथ के अंगूठो एवं बाएं हाथ में खरोंचदार चोट आयी थी। फरियादी की सूचना के आधार पर अभियुक्त/गण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 61/2026, अंतर्गत धारा 296, 115(2), 118(1) 351(3) भा.न्या.सं. 2023 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त/गण को धारा 35(3) भा.ना.सु.सं. 2023 का सूचनापत्र देकर छोडा गया। सम्पूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. न्यायालय द्वारा अभियुक्त/गण के विरूद्ध धारा 296, 118(1), 351(3), भा. न्या. सं. 2023 भा.न्या.सं. 2023 के अंतर्गत आरोप विरचित कर उसे पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसनें उक्त अपराध करना अस्वीकार कर विचारण की मांग की। अभियुक्त/गण ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों की सत्यता से भी इंकार किया है।

5. प्रकरण के विचारण के दौरान फरियादी/आहत सुनील कुमार यादव अभियुक्त/गण के मध्य स्वेच्छापूर्वक समझौता हो गया है, जिससे धारा 351(3), भा.न्या. सं. 2023 का अपराध शमनीय स्वरूप का होने से उक्त धारा में अभियुक्त/गण को दोषमुक्त किया गया है, परंतु धारा 296, 118(1) भा.न्या.सं. 2023 का अपराध अशमनीय होने से उक्त धारा के तहत् विचारण किया गया है।

6. प्रकरण में अभियुक्त/गण के विरूद्ध किन्ही तथ्य एवं परिस्थितियों का न होने के कारण अभियुक्त का 351 भा.ना.सु.सं. 2023 के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया।

प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न निर्मित किये गये :–

01- क्या अभियुक्त/गण ने दिनांक 04.03.2026 को समय लगभग 11:00

बजे थाना बदेरा अंतर्गत ग्राम अजवाइन स्थित फरियादी के घर के पास फरियादी/आहत सुनील कुमार यादव के साथ अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे तथा अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?

02- क्या अभियुक्त/गण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी/आहत सुनील यादव के साथ धारदार वस्तु टांगी से मार कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की है ?

03- दोषमुक्ति या दोषसिद्धी ?

विचारणीय प्रश्न कमांक–01

7. उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर आहत/फरियादी साक्षी सुनील कुमार यादव (अ.सा.–01) ने न्यायालयीन कथन में बताया है कि वह अभियुक्त को जानता है वह उसका भाई है। घटना इसी वर्ष मार्च महीने की 11–12 बजे की उसके घर के सामने की है। घटना दिनांक को हिस्सा बांट की बात को लेकर उसके एवं उसके भाई का वाद विवाद हो गया था। जिसकी रिपोर्ट उसने थाना बदेरा में करा दी थी। उसके द्वारा लेख करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया था जो प्र.पी.2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

8. अभियोजन साक्षी/फरियादी सुनील कुमार यादव (अ.सा.–01) से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना दिनांक को अभियुक्त/गण ने उसको मां–बहन की अश्लील गालियां दी एवं टांगी से मारपीट की थी। उक्त साक्षी सुनील कुमार यादव (अ.सा.–01) द्वारा उसके पुलिस कथन प्र.पी.3 का ए से ए भाग ''मेरा मझला भाई ..... बेंत मारा।'' तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.1 का बी से बी भाग ''तभी ..... बचा दिया हूं।'' पुलिस को लेख कराये जाने से भी इंकार किया है।

9. प्रकरण के अभियोजन साक्षी/आहत/फरियादी सुनील कुमार यादव (अ.सा.–01) द्वारा घटना दिनांक व समय पर अभियुक्त/गण द्वारा कोई भी बुरी–बुरी गालियां उच्चारित किये जाने संबंधी कथन नहीं किया है। प्रकरण में यह अवलोकनीय है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 के अंतर्गत दोषसिद्धि के संबंध में निम्न तीन बिन्दुओं पर विचार किया जाना है कि ''क्या घटना दिनांक व समय पर अभियुक्त द्वारा अश्लील शब्दावली उच्चारित की गयी''? दूसरा ''क्या ऐसे शब्द लोक स्थान पर उच्चारित किये गये''? तीसरा ''क्या ऐसे शब्द सुनकर फरियादी व अन्य उपस्थित जन को क्षोभ कारित हुआ''?

10. हस्तगत प्रकरण में अभियोजन साक्षी/आहत/फरियादी सुनील कुमार यादव (अ.सा.–01) द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्त/गण द्वारा फरियादी को अश्लील गालियां देना व्यक्त नहीं किया गया है। अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त साक्षी/गण ने यह इंकार किया है कि अभियुक्त ने उसे मां–बहन की अश्लील गालियां दी थी। प्रकरण में धारा 296 भा.न्या.सं. 2023 के अंतर्गत अभियोग प्रमाणित करने हेतु यह अवधारित करना है कि अभियुक्त के आक्षेपित/अभिकथित आचरण से घटना स्थल पर उपस्थित श्रोतागण को क्षोभ कारित हुआ हो। इस संबंध में न्याय दृष्टांत पवन कुमार विरूद्ध हरियाणा राज्य (1996) 4 एस0सी0सी0 17 में प्रतिपादित सिद्धांत अनुसरणीय है। उक्त संदर्भ में परीक्षित अभियोजन साक्षी/आहत/फरियादी सुनील कुमार यादव (अ.सा.–01) मौन है, उनके द्वारा अभियुक्त/गण का अश्लील शब्दावली उच्चारित किया जाना एवं घटना स्थल पर अन्य जन की उपस्थिति होकर उन्हें कोई क्षोभ कारित होने के संबंध में कोई अभिव्यक्ति नहीं की गई है। अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य से अभियोजन यह युक्ति युक्त संदेह से प्रमाणित करने में असफल रहा है, कि अभियुक्त/गण ने दिनांक 04.03.2026 को समय लगभग 11:00 बजे थाना बदेरा अंतर्गत ग्राम अजवाइन स्थित फरियादी के घर के पास फरियादी/आहत सुनील कुमार यादव के साथ अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे तथा अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया।

विचारणीय प्रश्न कमांक 02

11. उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन साक्षी/आहत/फरियादी सुनील कुमार यादव (अ.सा.1) ने उसके मुख्यपरीक्षण में कोई कथन नहीं किया है। उक्त साक्षी से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस सुझाव से इंकार किया है कि, अभियुक्त ने टांगी से मारा था जिससे उसे सिर एवं बायें हाथ के अगूंठा की बगल वाली अगुंली में चोट लगी थी। उक्त साक्षी/गण द्वारा पुलिस कथन प्रदर्श पी–03 का ए से ए भाग ''मेरा मझला भाई.....बेंत मारा'' एवं प्रदर्श पी–01 का बी से बी भाग ''तभी.....बचा दिया हूं'' पुलिस को लेख कराये जाने से इंकार किया है।

12. हस्तगत प्रकरण में इस तथ्य पर विचार किया जाना है कि क्या अभियुक्त/गण के द्वारा घटना दिनांक को फरियादी/आहत के साथ नुकीले या धारदार उपकरण टांगी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की गयी। इस संबंध में प्रकरण के उक्त फरियादी/आहत साक्षी/गण ने उसके मुख्य परीक्षण में इस संबंध में कोई कथन नहीं किया है। उक्त साक्षी/गण ने अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूंछे जाने पर भी इस सुझाव से इंकार किया है, कि अभियुक्त/गण ने नुकीले या धारदार उपकरण टांगी से उसे सिर एवं उंगली में मारा था।

13. प्रकरण में अभियोजन साक्षी/गण ने घटना दिनांक एवं समय पर अभियुक्त/गण द्वारा फरियादी/आहत के साथ किसी नुकीले या धारदार उपकरण टांगी से मारपीट किए जाने के संबंध में भी कोई कथन नहीं किया है। प्रकरण में फरियादी/आहत साक्षी/गण के कथनों को दृष्टिगत रखते हुए अभियोजन द्वारा किसी अन्य साक्षी को साक्ष्य हेतु आहूत नहीं किया गया है। न्यायालय द्वारा परीक्षित साक्षी/गण के कथन का अवलोकन किया गया, तो उससे यह प्रकट नहीं होता है कि अभियुक्त/गण ने फरियादी/आहत के साथ नुकीली या धारदार वस्तु टांगी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की।

14. अतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचना अनुसार प्रकरण में अभियोजन अभियुक्त/गण के

विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त/गण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी/आहत सुनील यादव के साथ धारदार वस्तु टांगी से मार कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की।

विचारणीय प्रश्न कमांक 03

15. परिणाम स्वरूप अभियुक्त **मिताहीलाल यादव पिता इंद्रपाल यादव उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम बिहराकलां थाना बदेरा जिला मैहर म.प्र.** को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 296 एवं 118(1) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से **दोषमुक्त** कर इस प्रकरण में स्वतंत्र किया जाता है।

16. प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण जप्तशुदा संपत्ति नहीं है।

17. अभियुक्त/गण द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति एवं बंध पत्र उन्मोचित किये जाते है।

18. अभियुक्त/गण द्वारा प्रकरण के अन्वेषण, जांच एवं विचारण के दौरान पुलिस अथवा न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहने की अवधि के संबंध में धारा 468 भा.ना.सु.सं. 2023 का प्रमाण तैयार कर प्रकरण में संलग्न किया जाये।

निर्णय मेरे निर्देश पर टंकित किया जाकर
दिनांकित, हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय
में घोषित किया गया।

स्थान– मैहर जिला सतना म.प्र.
दिनांक–05.08.2026

(पंकज कुमार श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
मैहर, जिला सतना म.प्र.

PANKAJ KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by PANKAJ KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.08.05 17:49:16 +0530